

No. A-12023/5/2019-E-II
Government of India
Ministry of Jal Shakti,
Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation,

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi – 110 001, Dated: 4th January, 2021

To,

1. The Chief Secretaries of all State Government / Union Territories
2. The Secretaries of all the Ministries/Departments of Government of India
3. Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations.

Subject: Filling up the post of Director, Central Water & Power Research Station, Pune, under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, on deputation (including short term contract) basis –Reg.

Sir,

I am directed to say that the one post of Director ,Central Water & Power Research Station, Pune, in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation New Delhi, in Pay level of 14 of Pay Matrix (Rs. 144200 – 218200) (Pay Band-4, Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.10000 pre-revised) is proposed to be filled by deputation (including short term contract) from amongst officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations:

A (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(II) with 2 years regular service in the grade rendered after appointment

thereto on regular basis in the scale of Pay Level-13 A (Rs.131100 – 216600) (Rs.37400-67000 + grade pay of Rs.8900/- in pay band-4 pre-revised) or equivalent in parent cadre or department; or

(III) with 3 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Pay Level-13 (Rs. 123100 – 215900)

(Rs.37400-67000 + grade pay of Rs.8700/- in pay band-4 pre-revised) or equivalent in parent cadre or department; and

B having experience in applied research in the field of hydraulic or hydraulic structures or water resources or coastal engineering or other areas of hydraulic research.

The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

Period of deputation including Short Term Contract including the period of deputation or Short Term Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.


Note :For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

The officer selected will have the option to draw his Pay in Pay Level plus deputation (duty) allowance or his pay fixed in the scale of pay of the deputation post subject to the restrictions contained in the Department of Personnel & Training O.M.No.2/29/91-(Pay-II), dated 05.01.1994 as amended from time to time.

It is requested that wide circulation may be given to the post and applications of eligible and willing officers (in triplicate) duly signed by the officer concerned in the enclosed proforma (Annexure-I) duly countersigned by the sponsoring authority along with requisite certificate/documents may be forwarded to Under Secretary, E-II,(email-ID – **etwo-mowr@nic.in**) Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Room No. 435, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg,

New Delhi – 110 001 within 45 days from the date of publication of this circular in the Employment News. The closing date for receipt of application from candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh (UT), Lahaul&Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island or Lakshadweep or abroad will be 52 days from the date of publication of advertisement. While forwarding the applications the sponsoring authority may certify that (i) particulars given by the applicant are correct (ii) integrity certificate/no penalty statement/no vigilance/disciplinary case is either pending or contemplated against the applicant (iii) in case of selection, the officer will be relieved for taking up the new assignment and (iv) attested photocopies of up to date APAR dossiers be sent along with applications. Applications received after the prescribed date or without the desired certificate/documents or not received through proper channel will not be considered.

Yours faithfully,


(Santanu Rakshit) 11/1/2024

Under Secretary to the Govt. of India

Encl. as above.

Copy forwarded for similar action to:

1. All Organizations of the Ministry of Water Resources.
2. NIC Cell for uploading the vacancy circular on the official website of this Ministry.

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1. Name and Address (in Block Letters)	
2. Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other Qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same).	
Qualifications/ experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
Essential	Essential
(1) Qualification	(1) Qualification
(2) Experience	(2) Experience
Desirable	Desirable
(1) Qualification	(1) Qualification
(2) Experience	(2) Experience
<p>5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential & Desirable qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/ Department/ Office at the time issue of circular and issue of advertisement in the Employment News.</p> <p>5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.</p>	
6. Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post.	
<p>6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/views confirming the relevant Essential Qualification/ work experience possessed by the candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied</p>	

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/ Institution	Post Held on regular basis	From	To	*Level and pay in pay matrix held on regular basis	Nature of duties(in detail) highlighting experience required for the post applied for

- Important: Pay- band and Grade Pay granted under ACP/MACP is personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay- band and Grade Pay/ Pay Scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay- band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the candidate, may be indicated as below:

Office/Institution	Pay, Pay Band and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi Permanent or Permanent.			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/Contract	c) Name of the parent office/ organization to which the applicant belongs	d) Name of the post and pay of the post held in substantive capacity in the parent organization
9.1 Note: In case of officers already on deputation, the applications of such			

officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity Certificate

9.2 Note: Information under column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/organization but still maintaining a lien in his parent cadre/organization

10. If any post held on deputation in the past by applicant, date of return from the last deputation and other details		
11. Additional details about present employment Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant Column) a) Central Govt. b) State Govt. c) Autonomous Organisation d) Government Undertaking e) Universities f) Others		
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.		
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.		
14. Total emoluments per month now drawn.		
Basic Pay in the PB	Grade Pay	Total Emoluments
15. In case the applicant belongs to an organization which is not following the Central Government Pay Scales, the latest salary slip issued by the organization showing the following details may be enclosed		
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness pay/interim relief/ other allowances etc.(with breakup details)	Total Emoluments
16.A. Additional information, if any,		

<p>relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement)</p> <p>(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.)</p>	
<p>16.B. Achievements</p> <p>The candidates are requested to indicate information with regard to:-</p> <p>(i) Research publications and reports and special projects</p> <p>(ii) Awards/Scholarship/Official appreciation</p> <p>(iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and</p> <p>(iv) Patents registered in own name or achieved for the organization</p> <p>(v) Any research/ innovative measure involving official recognition</p> <p>vi) any other information.</p> <p>(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.)</p>	
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC) /Absorption/Re-employment Basis. (Officers under Central/State Govts. are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government organisations are eligible only for Short Term Contract).</p>	
<p>#(The option of 'STC'/'Absorption'/Re-employment are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")</p>	
<p>18. Whether belongs to SC/ST</p>	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/details provided by me

are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

Signature of the Candidate

Address _____

Date _____

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

- i. There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. _____
- ii. His/ Her integrity is certified.
- iii. His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv. No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years Or A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

सं: ए-12023/5/2019-स्था-11

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय,
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001

दिनांक: 11/01/2024.

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
3. मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठन।

विषय: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन में निदेशक पद की भर्ती के बारे में ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में वेतन स्तर 14 के वेतन मैट्रिक्स (रु.144200-218200) (वेतन बैंड-4 रु. 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन रु. 10,000 पूर्व-संशोधित) में निदेशक के पद को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर ऐसे अधिकारियों में से, जो केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधीन हैं :

(क) (I) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर 13 क (रु.131100-216600) (वेतन बैंड-4 के वेतनमान रु 67000-37400 .+ ग्रेड वेतन रु8900 . -/ पूर्व संशोधित) या

समतुल्य में नियमति आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां तीन वर्ष (03)नियमित सेवा की है या

(III) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर (रु. 123100-215900) (वेतन बैंड-4 के वेतनमान रु 67000-37400 .+ ग्रेड वेतन रु -/8700 .पूर्व संशोधित) या समतुल्य में नियमति आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां तीन वर्ष नियमित सेवा की है और

(ख) जिनके पास द्रव इंजीनियरिंग या द्रविक विन्यास या जल संसाधन या तटीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या द्रविक अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान का अनुभव है के द्वारा भरा जाना है ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसमें केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सहित, साधारणतया वर्ष से 3 अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन (अल्पावधि अनुबंध सहित)प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक नहीं होगी । 56

नोट: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 01.01.2006 से पहले के अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा (6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है) पर विचार किया जाएगा। वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर ग्रेड वेतन या वेतनमान में इसी वेतन स्तर में प्रदान की जाने वाली सेवा को छोड़कर, जहां एक ग्रेड में एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतन के साथ एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतन का विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

चयनित अधिकारी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 का.ज्ञा. स. 2/29/1-(पे-II), जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है में

निहित प्रतिबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में उनके वेतन का भुगतान वेतन स्तर साथ ही प्रतिनियुक्ति (शुल्क) भत्ता या उनके वेतन के रूप में निर्धारित करने का विकल्प होगा।

यह अनुरोध किया जाता है कि पद के लिए व्यापक प्रचलन दिया जाए। पात्र और इच्छुक अधिकारियों के आवेदन (तीन प्रतियां) संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। साथ ही आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज को प्रायोजित प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होने के पश्चात् रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर अवर सचिव, ई-11, (ई-मेल आईडी - etwo-mowr@nic.in) पर जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 435, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को अग्रेषित किया जाना चाहिए। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख अनुभाग, लाहौल और हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिला और चंबा जिला के पांगी उप अनुभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप और विदेश के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 52 दिन के भीतर समाप्त होगी। आवेदन को अग्रेषित करते समय प्रायोजक प्राधिकारी यह प्रमाणित करे कि (i) आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है। (ii) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र/दंड संबंधी/ कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला आदि तो लंबित नहीं है (iii) पद के लिए चयन के पश्चात में, अधिकारी को नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्य मुक्त किया जाएगा और (iv) ए.पी.ए.आर. दस्तावेज की प्रतियों को आवेदन के साथ भेजा जाए। निर्धारित तिथि के बाद या वांछित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के बिना या उचित माध्यम से प्राप्त न किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

शा. रक्षित 11/11/2024
शांतनु रक्षित
अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक : यथा उपरोक्त

प्रति प्रेषित इसी तरह की कार्रवाई हेतु :

1. जल संसाधन मंत्रालय के सभी संगठनों
2. एन. आई. सी. सेल

जीवन वृत्त प्रपत्र

1.	नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	जन्म तिथि (ईस्वी सन में)	
3.	i) सेवा में नियुक्ति की तारीख ii) केन्द्र / राज्य सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत्ति की तारीख	
4.	शैक्षणिक योग्यताएँ	
5.	क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूर्ण हैं (यदि कोई योग्यता नियमों के अधीन योग्यता के समतुल्य मानी गई हो तो उसके प्राधिकारी का नाम बताएं)	
	विज्ञापन/रिक्त परिपत्र में वर्णित अपेक्षित योग्यताएं / अनुभव	अधिकारी द्वारा प्राप्त योग्यता / अनुभव
	अनिवार्य : (क) शैक्षणिक (ख) अनुभव वांछनीय : (क) शैक्षणिक (ख) अनुभव	अनिवार्य : (क) शैक्षणिक (ख) अनुभव वांछनीय : (क) शैक्षणिक (ख) अनुभव
5.1	टिप्पणी : रोजगार समाचार में परिपत्र और विज्ञापन जारी करने के समय प्रशासनिक मंत्रालय /विभाग/कार्यालय द्वारा नियुक्ति नियमों में उल्लिखित आवश्यक और वांछनीय योग्यता को दर्शाने के लिए इस कॉलम को बढ़ाना होगा।	
5.2	डिग्री और स्नातकोत्तर योग्यता के मामले में ऐच्छिक / मुख्य विषय और सहायक विषय उम्मीदवार द्वारा इंगित किए जा सकते हैं।	
6.	कृपया बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं ।	

6.1	टिप्पणी : अधिग्रहण (उधार लेने वाले) विभागों को उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक आवश्यक योग्यता / कार्य अनुभव (जैसा कि जीवन वृत्त में दर्शाया गया है) के संदर्भ में आवेदित पद के साथ अपनी विशिष्ट टिप्पणी / विचार प्रदान करने हैं।				
7.	कालक्रमानुसार नियुक्तियों का ब्यौरा, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया विधिवत हस्ताक्षर से प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें।				
कार्यालय /संस्थान	धारित पद	से	तक	*वेतनमान और मूल वेतन/ नियमित धारित पद का वेतनमान	कार्य का स्वरूप (विस्तार से) आवेदित पद के लिए आवश्यक अनुभव पर विशेष ध्यान दें।
1	2	3	4	5	6
*महत्वपूर्ण: एसीपी / एमएसीपी के तहत दिए गए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी के लिए व्यक्तिगत हैं और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। नियमित स्तर पर उल्लिखित पद का केवल वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा पाये गए लाभ का वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी / एमएसीपी का निम्नांकित विवरण नीचे बताएं :					
कार्यालय/संस्थान	वेतन, वेतन बैंड तथा एसीपी / एमएसीपी के तहत पाये गए वेतन बैंड	से	तक		
8.	वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप तदर्थ, अथवा अस्थायी अथवा स्थायीत्व अथवा स्थायी				
9.	यदि वर्तमान नियुक्ति प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारण किए हो तो कृपया बताएं ?				
(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि	(ख) प्रतिनियुक्ति /अनुबंध परनियुक्ति की अवधि	(ग) मूल कार्यालय /संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं ?	(घ) पद का नाम और मूल संगठन में पर्याप्त क्षमता में पद का वेतन		
9.1	टिप्पणी : यदि पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदन पत्र अभिभावक संवर्ग/विभाग द्वारा				

9.2	<p>कॉडर अनापति प्रमाणपत्र, सतर्कता अनापति प्रमाणपत्र, सत्यनिष्ठा अनापति प्रमाण के साथ भेजा जाना चाहिए।</p> <p>टिप्पणी : उपरोक्त कॉलम 9 (ग) तथा (घ) की जानकारी उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहां कोई व्यक्ति कॉडर / संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने मूल कॉडर / संगठन में एक ग्रहणाधिकार है।</p>		
10.	यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारण किया हो, अंतिम प्रतिनियुक्ति से वापसी की तारीख और अन्य विवरण सहित		
11.	<p>वर्तमान नियुक्ति से संबंधित अतिरिक्तविवरण :</p> <p>कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में से किस में कार्यरत हैं ?</p> <p>(क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ड) विश्वविद्यालय (च) अन्य</p>		
12.	कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं तथा फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में है ?		
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो तारीख बताएं कि कब से संशोधित हुआ और संशोधित पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।		
14.	प्रतिमाह ली जाने वाली कुल परिलब्धियाँ		
	पे बैंड में मूल वेतन	ग्रेड पे	कुल परिलब्धियां
15.	यदि कोई आवेदक किसी ऐसे संगठन के लिए कार्य करता है जो केंद्र सरकार के वेतनमान का पालन नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित विवरण में संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची में संलग्न की जा सकती है।		
	वेतन और वेतन वृद्धि की दर के साथ मूल वेतन	महंगाई वेतन / अंतरिम राहत / अन्य भत्ते आदि।	कुल परिलब्धियां

		(ब्रेक-अप विवरण के साथ)
16क	<p>अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें (इनमें से कुछ अन्य विषयों पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है)</p> <p>(i) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता</p> <p>(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं</p> <p>(iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित के अलावा कार्य अनुभव</p> <p>(टिप्पणी : यदि स्थान अपर्याप्त हो तो पृथक शीट संलग्न करें)</p>	
16ख	<p>उपलब्धियां : (उम्मीदवारों को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देनी होगी कि क्या उनकी कोई</p> <p>(i) अनुसंधान पत्र, रिपोर्ट अथवा विशेष परियोजना</p> <p>(ii) पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/अधिकारिक प्रशंसा</p> <p>(iii) व्यावसायिक इकाई/संस्थानों/संस्थाओं से मान्यता तथा</p> <p>(iv) पेटेंट अपने नाम से पंजीकृत हैं या संगठन के लिए</p> <p>हासिल किए गए हैं</p> <p>(v) आधिकारिक मान्यता को शामिल करते हुए कोई भी अनुसंधान / अभिनव उपाय</p> <p>(vi) अन्य कोई सूचना,</p> <p>(टिप्पणी : यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है)</p>	
17.	<p>कृपया बताएं कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)आमेलन/पुर्नियुक्ति आधार पर आवेदन कर रहे हैं # (केवल केंद्र/राज्य सरकारों में कार्यरत अधिकारी ही "आमेलन" के लिए पात्र होंगे, गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल लघु अवधि अनुबंध के पात्र हैं ?</p>	
	<p>#एसटीसी / अवशोषण / पुनः रोजगार का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा, जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से एसटीसी / अवशोषण / पुनः</p>	

	रोजगार द्वारा भर्ती द्वारा का उल्लेख किया गया हो तो ।	
18.	क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं ?	

मैंने उपर्युक्त पद के लिए दिए गए रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देख लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों आवश्यक योग्यता / कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से जीवनवृत्त का मूल्यांकन पद के चयन के समय चयन समिति द्वारा भी किया जाएगा । मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी / विवरण मेरे जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी भी भौतिक तथ्य को दबाया/रोका नहीं गया है ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता

.....

.....

दिनांक :

नियोक्ता / केंद्र नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/ विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सही है। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता है। अगर चयन होता है तो उसे तुरंत कार्यभार मुक्त किया जाएगा ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है;

i) श्री/ श्रीमती के विरुद्ध कोई सर्तकता/ अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है ।

ii) उनका/उनकी सत्यानिष्ठा को प्रमाणित किया गया है।

- iii) उसका/उसकी गोपनीय रिपोर्ट मूल में संलग्न/ पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की फोटोकॉपी सरकार के अवर सचिव स्तर के एक अधिकारी या इससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित करके संलग्न करें।
- iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ा /मामूली दंड नहीं लगाया गया है या पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर/ उसके द्वारा लगाए गए बड़े/ मामूली दंड की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो) ।

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता / कैडर नियंत्रण प्राधिकारी मोहर सहित)